

अध्यादेश संख्या 9

कुलसचिव की सेवा परिलब्धियाँ निबंधन एवं शर्तें तथा कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. कुलसचिव एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा जो इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर सीधी नियुक्ति के आधार पर पाँच वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें कार्य परिषद् द्वारा एक समरूप अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है (चयन प्रक्रिया के समुचित अनुपालन उपरान्त) और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संस्तुत और समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा।

तथापि प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष (विजीटर) द्वारा की जायेगी और वह तीन साल की समयावधि के लिए अपने कार्यालय में सेवारत रहेगा। आगे यह कि कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

2. यदि कुलसचिव सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है, उसकी सेवा की निबंधन और शर्तें भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होगा। आगे यह कि कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कुलसचिव का निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।
3. जब कुलसचिव का पद रिक्त हो अथवा जब कुलसचिव रूग्णता, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद पर कार्य निष्पादन में असमर्थ हों तो उसके पद के कार्यों का निष्पादन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाएगा।

4. कुलसचिव को असज्जित आवास की पात्रता होगी जिसके लिए यथाप्रयोज्य आवास की श्रेणी के लिए निर्धारित लाइसेंस फी (शुल्क) का भुगतान करना होगा।

5. कुलसचिव की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय के गैर-अवकाशी कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित की जाएँगी।

6. कुलसचिव को अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों को छोड़कर कार्य परिषद् के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने, जाँच पूरा होने तक निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने अथवा उन पर निंदा दंड अधिरोपित करने या वेतनवृद्धि रोकने का अधिकार होगा। परंतु यह कि :

(क) कोई भी ऐसा दंड तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक उस कर्मचारी को उसके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता।

(ख) उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट दंड अधिरोपित करते हुए कुलसचिव के किसी आदेश के विरुद्ध कुलपति को अपील की जा सकती है।

(ग) जहाँ जाँच से यह प्रकट होता है कि आरोपित होने वाला दंड कुलसचिव की शक्ति से बाहर है, जाँच के समापन पर कुलसचिव संस्तुतियों के साथ कुलपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आगे यह कि कुलपति के आदेश से अधिरोपित दंड के विरुद्ध कार्य परिषद् को अपील की जा सकती है।

7. कुलसचिव कार्य परिषद् और शैक्षणिक परिषद् का पदेन सचिव होगा, लेकिन इन दोनों प्राधिकरणों का सदस्य नहीं होगा और कुलसचिव कोर्ट का पदेन सदस्य सचिव होगा।

8. कुलसचिव का कर्तव्य होगा कि :

- (क) रिकार्ड, सामान्य मोहर और कार्य परिषद् द्वारा कुलसचिव को सुपुर्द की गई विश्वविद्यालय की अन्य संपत्ति का अभिरक्षण करना।
- (ख) कोर्ट, कार्य परिषद्, शैक्षणिक परिषद् और इन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों को बुलाने संबंधी सभी नोटिसों को जारी करना।
- (ग) कोर्ट, कार्य परिषद्, शैक्षणिक परिषद् और इन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों की सभी बैठकों के कार्यवृत्तांत का रिकार्ड रखना।
- (घ) कोर्ट, कार्य परिषद् और शैक्षणिक परिषद् के कार्यालयी पत्राचारों संबंधी कार्य का संचालन।

- (ड.) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों की कार्यसूची को (उसके जारी होने के तुरंत बाद) और कार्यवृत्ति को अवलोकनार्थ कुलाध्यक्ष (विजिटर) के पास भेजना।
- (च) विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज अथवा इसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करना और अभिवचनों का सत्यापन करना अथवा इस उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना, और
- (छ) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट हो अथवा कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित किया गया हो।

ORDINANCE NO: 9

**EMOLUMENTS, TERMS & CONDITIONS OF SERVICE, FUNCTIONS AND
RESPONSIBILITIES OF THE REGISTRAR**

1. The Registrar shall be a whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose for tenure of five years which can be renewed for a similar term by the Executive Council (after due observance of Selection process) and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.
However, the first Registrar shall be appointed by the Visitor and shall hold office for a term of three years.
Provided that the Registrar shall retire on attaining the age of sixty-two years.
2. In case the Registrar is appointed on deputation from the Government or any other Organization / Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India. Provided that the Registrar appointed on deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.
3. When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
4. Registrar shall be entitled to an unfurnished residential accommodation for which he/she shall pay the prescribed license fees, as applicable to the category of the house.
5. The terms and conditions of service of the Registrar shall be such as prescribed for other non-vacation employees of the University.
6. The Registrar shall have power to take disciplinary Action against such of the employees, excluding teachers and other academic staff, as may be specified in the order of the Executive Council and to suspend them pending inquiry, to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment. Provided that:
 - a) No such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the Action proposed to be taken in regard to him.
 - b) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar Imposing any of the penalties specified in sub-clause (a).
 - c) In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations: Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

7. The Registrar shall be ex officio Secretary of the Executive Council and the Academic Council, but shall not be a member of either of these authorities and he shall be ex officio Member-Secretary of the Court.
8. It shall be the duty of the Registrar:
 - a) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;
 - b) To issue all notices convening meetings of the court, the Executive Council, the Academic Council and of any Committees appointed by those authorities.
 - c) To keep the minutes of all the meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council and of any Committees appointed by those authorities.
 - d) To conduct the official correspondence of the court, the Executive Council and the Academic Council;
 - e) To supply to the visitor, copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;
 - f) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and
 - g) To perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or the Regulations or as may be required from time to time by the Executives Council or the Vice-Chancellor.